

अनवान

2025/279

~~हेड वार्ड पुकी गोपी जी गुर्जर वार्ड~~  
~~निवासी सागरिया खुडल बेगूँ~~ प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

~~डी.एस. गुर्जर~~  
~~निवासी सागरिया खुडल बेगूँ~~ विपक्षी / विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत वायत पत्थरगढी करनेः

न्यायालय में अधिवक्ता श्री ...D.S. गुर्जर... के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा सागरिया खुडल पटवार हल्का सागरिया खुडल की आराजी संख्या ..... 115 अ. .... कुल कीता- 0.1 ..... कुल रकबा ..... 0.2960 अ. कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा सागरिया खुडल पटवार हल्का सागरिया खुडल की आराजी संख्या ..... 115 अ. .... कुल कीता- 0.1 ..... कुल रकबा 0.2960 अ. भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र  
 कीता- (3)

उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ  
 जिला चितौडगढ़(राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 394  
 प्रार्थना पत्र संख्या 112/25 व अनवान

दिनांक :- 2-6-25

प्रार्थना पत्र अ0ध0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

नोट - अन्तर्गत प्रकार का निवाड है। आपकी रिपोर्ट पत्रों के साथ ही फुल ऑरिजिन।

उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ  
 जिला चितौडगढ़(राज.)